प्रेस नोट

दिनांक- 29.08.2026

थाना को0 करनैलगंज पुलिस द्वारा झपटमारी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार, कब्जे ये ₹23,000 नगद व घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटरसाइकिलें बरामद-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना को0 करनैलगंज पुलिस द्वारा दिनांक 27.08.2026 को सकरौरा ग्रामीण क्षेत्र में हुई झपटमारी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना से संबंधित ₹23,000 नगद तथा घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.08.2026 को वादी राजकुमार शुक्ला पुत्र चन्द्रमणि शुक्ला निवासी ग्राम भवानीपुर, पोस्ट चाँदोपारा, थाना उतरांव, जनपद प्रयागराज अपनी कार से थाना को0 करनैलगंज क्षेत्र में एक वाहन देखने के लिए आए थे। करनैलगंज कस्बे में अपनी कार खड़ी कर पैदल सकरौरा ग्रामीण की तरफ जाते समय सरजू बालिका इंटर कॉलेज के पास पीछे से दो मोटरसाइकिलों पर सवार तीन व्यक्तियों द्वारा उनका बैग झपट्टा मारकर छीन लिया गया तथा अभियुक्त सकरौरा की तरफ भाग गए। बैग में आवश्यक कागजात एवं 01 लाख रुपये नगद रखे हुए थे। घटना के संबंध में वादी द्वारा दिनांक 28.08.2026 को थाना को0 करनैलगंज पर सूचना दी गई। घटना के संबंध में थाना को0 करनैलगंज पर मु0अ0सं0 523/2026 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीमे द्वारा लगातार सुरागरसी-पतारसी एवं संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा नरायनपुर मांझा-पोतेदार पुरवा मोड़ के पास घेराबंदी कर दो संदिग्ध व्यक्तियों को मोटरसाइकिल सहित पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से ₹23,000 नगद रूपये बरामद हुए।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उन्होंने अपने साथी ''सत्यम सिंह'' के साथ मिलकर घटना से पूर्व योजना बनाई थी। दिनांक 27.08.2026 को दोपहर करीब पौने दो बजे सरजू बालिका इंटर कॉलेज, सकरौरा ग्रामीण के पास पैदल जा रहे व्यक्ति के बैग में रुपये होने की जानकारी होने पर पीछे से जाकर बैग झपट्टा मारकर छीन लिया गया था। बैग में कुल ₹1,00,000 नगद मिले थे, जिसे आपस में बांट लिया गया था। बरामद ₹23,000 उसी घटना में प्राप्त धनराशि में से शेष होना बताया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आशु मिश्रा पुत्र दिलीप मिश्रा निवासी डायनियागंज, मौजा दत्तनगर, थाना को0 करनैलगंज, जनपद गोण्डा।
2. आशुतोष सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी मोहल्ला बमपुलिस, कस्बा करनैलगंज, थाना को0 करनैलगंज, जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 523/2026 धारा- 304(2), 317(2), 3(5) बीएनएस थाना- को0 करनैलगंज, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. ₹23,000 नगद
2. 01 स्पेलेन्डर मोटरसाइकिल
3. 01 पल्सर मोटरसाइकिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अक्षय कुमार मिश्रा
2. उ0नि0 अभिनव भरत सिंह
3. हे0का0 दीपक मिश्रा
4. हे0का0 रामशरण मौर्या
5. का0 हिमांशु प्रजापति
6. का0 रवि प्रकाश
7. का0 अंगद
8. का0 सत्येन्द्र कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक- 29.08.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर संपत्ति हड़पने के मामले में 01 आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तारः-

कार्यवाही-

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 665/2026 से संबंधित नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु तलाश की जा रही थी। आज दिनांक 29.08.2026 को उ0नि0 सत्य प्रकाश सिंह मय हमराह क्षेत्र में भ्रमणशील होकर अभियुक्त की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित नामजद अभियुक्त चिंटू बाबा मंदिर, साहबगंज के पास मौजूद है तथा कहीं भागने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देखकर अभियुक्त भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी साधना सिन्हा पत्नी ओमप्रकाश द्वारा थाना कोतवाली नगर पर तहरीर दी गयी कि सावित्री देवी की संपत्ति को हड़पने की नीयत से विपक्षीगणों द्वारा कूटरचित मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज तैयार कराए गए तथा उनके आधार पर संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान अभियुक्त वेद प्रकाश श्रीवास्तव का नाम प्रकाश में आया। पुलिस द्वारा अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को चिंटू बाबा मंदिर, साहबगंज के पास से गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. वेद प्रकाश श्रीवास्तव पुत्र शिव शंकर लाल श्रीवास्तव निवासी नाथ नगर बड़गांव, थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 0665/2026 धारा- 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 351(3) बीएनएस थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 सत्य प्रकाश सिंह।
2. का0 हरकेश कुमार सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।